

एस डी ओ/रीडर

25^c/₁₈

पत्रावली कोष में प्रवेश हुई। दोनों पत्रों को
वह कोष में वापस रखकर निवेदन ले पाकर किया
जाता है कि निवेदन दाखल की शीतल व राजस्थान
विभाग की प्रशासक को भेजा वसे। पत्रावली कोष में
अनुसंधान प्रमाण ले जाना है तथा वरु रजिस्ट्रार
संलग्न कर है।